पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8020

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1219

==========

कामिनी कुमारी पत्नी स्वर्गीय मोहन राउत निवासी-वार्ड सं. 12, जी. एम. रोड, आयकर चौक के पास, पी. एस.-दरभंगा सदर, जिला दरभंगा-84,6004.

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना-सह-अनुशासनिक प्राधिकरण।
3. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. कोषागार अधिकारी, दरभंगा।
6. महालेखाकार, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20610

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1249

==========

सौदा खातून मोहम्मद अशफाक आलम की पत्नी निवासी मिल्लत नगर, वार्ड संख्या 28, थाना अरारिया, जिला-अरारिया।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक-सह-अनुशासनिक प्राधिकरण, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया।
3. जिला शिक्षा अधिकारी-सह-जांच अधिकारी, अरारिया।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), शिक्षा विभाग-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, अरारिया।

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.693

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1252

==========

श्रीमती. तारा सिंह पत्नी बैद्यनाथ सिंह, ग्राम-पूरब बाजार, भगवान लाल गोला, वार्ड संख्या 30, थाना और जिला-सहारसा, पिन कोड-852201 के निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, कोशी प्रभाग, सहरसा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सहर्सा-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, सुपौल-सह-जांच अधिकारी।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.439

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1253

==========

श्रीमती. मीरा पाठक श्री अरुण कुमार झा की पत्नी निवासी बसघरहा, पी. ओ.-वासुदेपुर, थाना-कोतवाली, नगर और जिला-मुंगेर।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, मुंगेर प्रभाग, मुंगेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेर।

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), मुंगेर-सह- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई-सह-जांच अधिकारी।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.439

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1254

==========

1. श्रीमती. रीता रानी पत्नी श्री श्यामदेव भगत, निवासी मुंगेर रोड, जमालपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर।
2. श्रीमती विमला कुमारी श्री कमलेश प्रसाद गुप्ताकी पत्नी, निवासी बेकापुर, मयूर चौक, थाना-कोतवाली, नगर और जिला-मुंगेर।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, मुंगेर प्रभाग, मुंगेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेर।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) मुंगेर-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई-सह-जांच अधिकारी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.2364

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1257

==========

बांसुरी आचार्य स्वर्गीय परेश केशरे आचार्य की पुत्री, त्रिदिब तरण मुखर्जी, की पत्नी त्रिपोलिया, बी. एन. आर. रोड, बैरिया, थाना आलमगंज, पटना 800007, वर्तमान में

सुवर्णलता अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल, फ्लैट संख्या 5,68 डी. डी. मंडल घाट रोड, दक्षिणेश्वर, थाना-दक्षिणेश्वर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-700076 में रहते हैं।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण सह शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रभाग, मुजफ्फरपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, वैशाली-सह-जांच अधिकारी।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), वैशाली-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-जांच अधिकारी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

एल.पी.ए.-बिहार पेंशन नियम, 1950-नियम 43(बी), 139-शिक्षक की नियुक्ति-1980 से 1988 के बीच नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति और 2004 में प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में 1998 में सी.बी.आई ने जांच की। कई कार्यवाहियों के बाद, वर्ष 2017 में दोषी शिक्षकों पर दंड लगाए गए-पहले से ही सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन वापस ले ली गई थी, जबकि जो जांच के समय नौकरी में थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी, जिन्हें कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए थे, उन्होंने कई रिट याचिकाओं के साथ पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें आक्षेपित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था।

याचिका में कहा गया है कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(बी) और 139 का उल्लंघन किया गया है-क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद शुरु की गई जांच के लिए सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं दी गई है और जिस घटना के आधार पर आरोप लगाया गया है, वह भी 1980 से संबंधित है, जो 4 साल से अधिक है, अतः नियम 43(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है--इसके अलावा, क्योंकि नियम 139(सी) के तहत किसी भी अपीलार्थी के खिलाफ असंतोषजनक सेवा या कदाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, दंड भी निराधार है-राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक जांच में निष्पक्षता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया और विशिष्ट नियमों का भी उल्लंघन किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत् लाए गए प्रक्रिया के नियम-एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य का अपने कर्मचारियों के प्रति दायित्व है। अपीलार्थियों को दशकों पहले नियुक्त किया गया था और वे राज्य के रोजगार में बने रहे। भले ही सी.बी.आई. को कुछ अनियमितताएं मिलती हों, लेकिन यह राज्य को सावधानीपूर्वक जांच करनी थी कि क्या ऐसी अनियमितताएं मौजूद थीं या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना समीचीन था, विशेष रुप से समय बीतने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने बीच के वर्षों में ऐसे व्यक्तियों से काम निकाला था।--- अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायतों की गैर हाजरी में और यह तथ्य कि उनमें से कोई

भी नहीं अपने पूरे सेवाकाल में कदाचार का दोषी था, राज्य ने अपीलार्थियों की पेंशन को रोककर मनमाने ढंग से कार्य किया है। जिस पर उनका अधिकार बताया गया है, न कि राज्य द्वारा उन्हें भुगतान किया गया पारितोषिक। एकल न्यायाधीश की याचिका को खारिज कर दिया गया और अपीलों को स्वीकृति दी गई-अपीलार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बहाल करने और बकाया राशि का भुगतान 4 महीने की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8020

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1219

==========

कामिनी कुमारी पत्नी स्वर्गीय मोहन राउत निवासी-वार्ड सं. 12, जी. एम. रोड, आयकर चौक के पास, पी. एस.-दरभंगा सदर, जिला दरभंगा-84,6004.

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना-सह-अनुशासनिक प्राधिकरण।
3. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. कोषागार अधिकारी, दरभंगा।
6. महालेखाकार, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20610

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1249

==========

सौदा खातून मोहम्मद अशफाक आलम की पत्नी निवासी मिल्लत नगर, वार्ड संख्या 28, थाना अरारिया, जिला-अरारिया।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक-सह-अनुशासनिक प्राधिकरण, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया।
3. जिला शिक्षा अधिकारी-सह-जांच अधिकारी, अरारिया।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), शिक्षा विभाग-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, अरारिया।

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.693

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1252

==========

श्रीमती. तारा सिंह पत्नी बैद्यनाथ सिंह, ग्राम-पूरब बाजार, भगवान लाल गोला, वार्ड संख्या 30, थाना और जिला-सहारसा, पिन कोड-852201 के निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, कोशी प्रभाग, सहरसा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सहर्सा-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सुपौल-सह-जांच अधिकारी।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.439

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1253

==========

श्रीमती. मीरा पाठक श्री अरुण कुमार झा की पत्नी निवासी बसघरहा, पी. ओ.-वासुदेपुर, थाना-कोतवाली, नगर और जिला-मुंगेर।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, मुंगेर प्रभाग, मुंगेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेर।

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), मुंगेर-सह- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई-सह-जांच अधिकारी।

..... प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.439

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1254

==========

1. श्रीमती. रीता रानी पत्नी श्री श्यामदेव भगत, निवासी मुंगेर रोड, जमालपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर।
2. श्रीमती विमला कुमारी श्री कमलेश प्रसाद गुप्ताकी पत्नी, निवासी बेकापुर, मयूर चौक, थाना-कोतवाली, नगर और जिला-मुंगेर।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, मुंगेर प्रभाग, मुंगेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेर।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) मुंगेर-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई-सह-जांच अधिकारी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.2364

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 1257

==========

बांसुरी आचार्य स्वर्गीय परेश केशरे आचार्य की पुत्री, त्रिदिब तरण मुखर्जी, की पत्नी त्रिपोलिया, बी. एन. आर. रोड, बैरिया, थाना आलमगंज, पटना 800007, वर्तमान में सुवर्णलता अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल, फ्लैट संख्या 5,68 डी. डी. मंडल घाट रोड, दक्षिणेश्वर, थाना-दक्षिणेश्वर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-700076 में रहते हैं।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अनुशासनात्मक प्राधिकरण सह शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रभाग, मुजफ्फरपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, वैशाली-सह-जांच अधिकारी।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), वैशाली-सह-प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-जांच अधिकारी।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

(2023 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1219 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पुरुषोतम कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह (एएजी-13)

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

श्री रजत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

श्री आर्या अचिंत, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.

श्री तेज प्रताप सिंह, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.

सुश्री सुनिता कुमारी, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.

ए. जी. के लिए: श्री राज नंदन प्रसाद अधिवक्ता

श्री विशेष कुमार सिंह, अधिवक्ता

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1249 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पी.एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा सिंह, अधिवक्ता

श्री अमित आनंद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश क्र. सिंह (एएजी-13)

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1252 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पुरुषोतम कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह (एएजी-13)

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

श्री रजत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

श्री आर्य अचिंत, एसी टू एएजी-13

श्री तेज प्रताप सिंह, एसी टू एएजी-13

सुश्री सुनीता कुमारी, एसी टू एएजी-13

ए. जी. के लिए: श्री राज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

श्री विशेष कुमार सिंह, अधिवक्ता

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1253 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पुरुषोतम कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह (एएजी-13)

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

श्री रजत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

श्री आर्य अचिंत, एसी टू एएजी-13

श्री तेज प्रताप सिंह, एसी टू एएजी-13

सुश्री सुनीता कुमारी, एसी टू एएजी-13

ए. जी. के लिए: श्री राज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

श्री विशेष कुमार सिंह, अधिवक्ता

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1254 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पुरुषोतम कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह (एएजी-13)

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

श्री रजत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

श्री आर्य अचिंत, एसी टू एएजी-13

श्री तेज प्रताप सिंह, एसी टू एएजी-13

सुश्री सुनीता कुमारी, एसी टू एएजी-13

ए. जी. के लिए: श्री राज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

श्री विशेष कुमार सिंह, अधिवक्ता

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1257 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री पुरुषोतम कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह (एएजी-13)

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

श्री रजत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

श्री आर्य अचिंत, एसी टू एएजी-13

श्री तेज प्रताप सिंह, एसी टू एएजी-13

सुश्री सुनीता कुमारी, एसी टू एएजी-13

ए. जी. के लिए: श्री राज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

श्री विशेष कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

कैव निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तिथी: 27.02.2024

समान रिट याचिकाओं में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य निर्णय से अपीलें उत्पन्न होती हैं। याचिकाकर्ता 1980 के दशक की शुरुआत में नियुक्त किए गए शिक्षक थे, जिनकी नियुक्तियां इस न्यायालय डी. के निर्देश पर सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच का विषय थीं। एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) में इस न्यायालय का। सी. बी. आई. द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर से, एक जनहित

याचिका दायर की गई जिसके कारण उन शिक्षकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की गई जिन पर सी.बी.आई. रिपोर्ट में अवैध रूप से नियुक्त होने का आरोप लगाया गया था;लगाए गए विभिन्न दंडों को दरकिनार कर दिया गया, कुछ मामलों में, उनमें से प्रत्येक के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को अनुचित पाया गया।

इस न्यायालय द्वारा नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के कारण, विभाग ने उक्त शिक्षकों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की। उनमें से कई सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिनके खिलाफ, जांच के बाद, उनकी पेंशन पूरी तरह से वापस लेने की सजा दी गई थी। जो लोग नई जांच के समय नौकरी में थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों ने अन्य लोगों के साथ, जिन्हें कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए थे, कई रिट याचिकाओं के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिनमें से सभी को अपीलों में आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने शुरुआत में रिट याचिकाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया था; (i) जिन लोगों की पेंशन पूरी तरह से वापस ले ली गई थी, वे सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे, (ii) जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और (iii) जिन शिक्षकों को कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए थे। सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही में सामान्य सूत्र, जिनमें से कुछ यहाँ अपीलार्थी हैं, सी. बी. आई. जांच थी। विवादित निर्णय जो सी. बी. आई. जांच रिपोर्ट पर निर्भर था; जिसने अवैध नियुक्तियों के आरोपों का समर्थन किया, यह पता लगाने के लिए कि लगाया गया जुर्माना पूरी तरह से क्रम में था, विशेष रूप से जब अवैध नियुक्तियों को समानता के शासन में हस्तक्षेप करने और उल्लंघन करने के लिए माना गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। यह पाया गया कि नियुक्तियां मिलीभगत से की गई थीं, असंगत विचारों के आधार पर, उचित विज्ञापनों के बिना, रोस्टर अंकों का गैर-अनुपालन, कोई पारदर्शी चयन प्रक्रिया नहीं की गई थी; नियुक्तियों को दूषित करने वाले सभी बहुत ही

अकाट्य कारक थे। इस प्रकार की गई नियुक्तियाँ, नियोजित धोखाधड़ी के कारण, रिट अदालत के अनुसार ऐसी नियुक्तियों को शुरू से ही अमान्य बना देती हैं।

3. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री पुरषोत्तम कुमार झा का तर्क होगा कि विवादित फैसले में निष्कर्ष गलत, गलत दिशा में निर्देशित हैं और उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर विचार करने में विफल हैं जो एक उचित विभागीय जांच को मान्य करते हैं। सी. बी. आई. की रिपोर्ट पर केवल निर्भरता, जिसे कई वर्षों तक गुप्त रखा गया था और जिसके कारण कोई दर्ज नहीं की गई थी, पूरी तरह से गलत थी। सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई जांच ने प्रक्रिया के नियम का पालन नहीं किया और इसलिए शुरुआत ही त्रुटिपूर्ण थी। सेवानिवृत्ति के बाद कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध मौजूद नहीं है। जाँच में बिल्कुल कोई सबूत नहीं था और यहाँ तक कि रिपोर्ट को जाँच में दस्तावेज़ के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था।

4. जांच में सी. बी. आई. की रिपोर्ट को चिह्नित नहीं किए जाने के कारण, एकल न्यायाधीश द्वारा सी. बी. आई. की ओर से अदालत के समक्ष की गई दलीलों पर उनके वकील द्वारा रखी गई निर्भरता क्रम में नहीं थी। की गई जांच और लगाई गई सजा के खिलाफ उठाए गए किसी भी कानूनी तर्क पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था। उपरोक्त मामले की तुलना अन्य मामलों से करना, जहां अवैध नियुक्तियां की गई थीं, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी; अनियमित था क्योंकि तथ्य अलग और स्पष्ट थे। जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को अभिलेख में दर्ज दस्तावेजों से गलत साबित किया गया है। अपीलार्थी बकाया भुगतान के साथ अपनी पेंशन को फिर से शुरू करने और जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें सभी परिचर लाभों के साथ बहाल करने की मांग करने के हकदार हैं। विद्वान वकील ने हमें व्यक्तिगत मामलों में अभिलेखों में प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों के बारे में सावधानीपूर्वक जानकारी दी।

5. विद्वान ए. ए. जी.-13, सर्वेश कुमार सिंह, दूसरी ओर विवादित फैसले को बरकरार रखने की मांग की जिसने लगाए गए विभिन्न दंडों को कायम रखा। एक उचित विभागीय कार्यवाही की गई, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया गया, स्थानीय समाचार पत्रों में उचित विज्ञापन के बिना और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बिना किया गया था। कोई रोस्टर मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी, जिनमें से सभी विषय नियुक्तियों को पिछले दरवाजे की प्रविष्टियां बनाते हैं; भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं होने के लिए शुरुआत से ही अमान्य है। **कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी** (3) (2006) 4 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किए गए दंड को बनाए रखने के लिए इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों के साथ विशेष रूप से भरोसा किया गया था।

6. यह विवाद इस अदालत द्वारा आदेशित सी. बी. आई. जांच के कारण उत्पन्न हुआ। हालांकि इसके परिणामस्वरूप कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया, विभाग ने घरेलू पूछताछ के साथ आगे बढ़कर दंड लगाया। यह सामान्य बात है कि आपराधिक अभियोजन और विभागीय जांच समानांतर कार्यवाही हैं और अक्सर इन्हें मिलाया नहीं जा सकता है।

आपराधिक अभियोजन में उचित संदेह से परे सबूत अनिवार्य है, जबकि विभागीय कार्यवाही में केवल संभावनाओं की अधिकता की आवश्यकता होती है। सभावनओं के प्रधानता अवैध नियुक्तियों के आरोप के पक्ष में झुकती हैं जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक संकीर्ण सूत्र में नहीं रखा जा सकता है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया है कि जांच से सामने आने वाले तथ्य निर्विवाद हैं और पूरी कार्यवाही भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के खिलाफ कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मान्य करती है कि समानता खंड में कोई निराशा न हो। विद्वान ए. ए. जी. ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित निर्णय को बनाए रखना होगा।

7. हम केवल विभिन्न श्रेणियों के मामलों के आधार पर जाने का इरादा नहीं रखते हैं जैसा कि हमारे सामने रखा गया है। पक्षों को सुनने और दस्तावेजों को देखने के बाद, हम आश्वस्त हैं कि प्रत्येक मामले को अलग से लिया जाना चाहिए और तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उचित विभागीय जांच नहीं किए जाने और सेवानिवृत्ति के बाद जांच की वैधता के बारे में विवाद, सभी सामान्य आधार हैं जिन पर बाध्यकारी उदाहरणों के आधार पर गौर किया जाना चाहिए।

8. इससे पहले, हम देखते हैं कि यह वर्ष 1998 में था कि 1998 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 9847 में (**ब्रजेश कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**), दिनांकित 16.12.2019 एक आदेश द्वारा सी. बी. आई. को नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में जाँच करने का निर्देश दिया गया था। निम्न अधीनस्थ शिक्षा सेवा (संक्षिप्त 'एल. एस. ई. एस.') (महिला शाखा) में सहायक शिक्षक जिन्हें 1980 से 1988 के बीच नियुक्त किया गया था। सी. बी. आई. ने बिहार राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष 09.11.2004 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9. रिपोर्ट में 305 शिक्षकों में से केवल 27 को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।

अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ और ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। सी. बी. आई. के अनुसार, नियुक्तियां बिना विज्ञापन के, रोस्टर मंजूरी के बिना और आरक्षण नियमों का पालन किए बिना की गई थीं।

कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अधिक उम्र और आवश्यक अनिवार्य योग्यता की कमी का भी आरोप लगाया गया था। सी. बी. आई. ने आपराधिक कानून को लागू करने के लिए कोई एफ़. आई. आर. दर्ज नहीं की और राज्य इस मामले पर चुप रहा।

10. केवल वर्ष 2016 में जब 2016 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 10022 दायर किया गया था, राज्य अपने ही अधिकारियों द्वारा की गई कथित अवैधता के बारे में जागरूक हुआ। रिट याचिका में प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को सी. बी. आई. की रिपोर्ट पर राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को सामने रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। जनहित याचिका में जारी आदेशों के आधार पर, कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए और कुछ मामलों में बर्खास्तगी की सजा दी गई।

11. रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था और **शांति कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य**, 2016 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 17904 को निपटाया गया, याचिकाकर्ता में से 17.01.2017 पर निपटाया गया। याचिकाकर्ताओं, कुछ जो तत्काल अपीलों में अपीलार्थी भी हैं, उन्हें अपने-अपने मामलों को दर्ज प्रस्तुत समर्थन प्रस्तुत वाले मामले कानूनों के साथ प्रासंगिक दस्तावेज पेश प्रस्तुत के उचित अवसर से वंचित पाया गया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जांच के खिलाफ टिप्पणियां आगे की कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल नहीं होंगी जब नियुक्तियों को धोखाधड़ी से ग्रस्त कहा गया था। उक्त स्वतंत्रता विभाग पर छोड़ दी गई जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान कार्यवाही और विभिन्न दंड लगाए गए।

12. अब हम व्यक्तिगत तथ्यों को देखते हैं। 2023 के एल. पी. ए. संख्या 1219 में अपीलार्थी लंबी सेवा के बाद बिहार शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हुए, जो 01.08.1981 को सहायक शिक्षक के रूप में निचली अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग ('एल. एस. ई. एस. संवर्ग') में नियुक्ति से शुरू हुआ। वह बिहार शिक्षा सेवा, कक्षा-II से 31.01.2016 को जिला कार्यक्रम अधिकारी (लेखा और योजना) के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 13.10.2016 को आरोप पत्र तैयार किया गया था अवैध नियुक्ति के लिए जो 1981 में हुई थी।

13. 2023 के एल. पी. ए. सं. 1252 में अपीलार्थी को एल. एस. ई. एस. संवर्ग में 07.06.1988 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह उसी पद से 30.11.2014 को सेवानिवृत्त हुईं। 1988 में हुई घटना के लिए, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उनके खिलाफ 24.11.2021 को आरोप पत्र तैयार किया गया।

14. 2023 के एल. पी. ए. सं. 1254 में दो अपीलार्थी हैं, जिनमें से पहले को 29.02.1988 को एल. एस. ई. एस. संवर्ग में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 31.05.2017 को उक्त पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद, 1988 में हुई घटना के लिए 27.10.2018 याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया। दूसरी अपीलार्थी, विमला कुमारी को भी एल. एस. ई. एस. संवर्ग में 14.09.1981 पर सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हुईं। वर्ष 1981 में हुई घटना के लिए अर्थात उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 27.10.2018 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आरोप पत्र भी जारी किया गया था; अर्थातः उनकी प्रारंभिक नियुक्ति। वर्तमान मामलों के समूह में चार नियुक्तियों के संबंध में उपरोक्त तीन रिट याचिकाएं सेवानिवृत्त शिक्षकों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का एक विवरण प्रस्तुत करती हैं।

15. इन तीनों अपीलों पर सबसे पहले में विचार किया जाता है। चुँकि पहली दो अपीलों में, कार्यवाही पहले सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी और आखिरी में, हालांकि सेवा में रहते हुए शुरू की गई थी, इस अदालत द्वारा लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया गया था और सेवानिवृत्ति के बाद नई कार्यवाही शुरू की गई थी। ये अपीलें अपीलों के समूह की प्रतिनिधि हैं।

16. उपरोक्त कार्यवाही के खिलाफ उठाए गए मुख्य आधारों में से एक, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) का उल्लंघन है। नियम 43 (बी) राज्य सरकार के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या

वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, साथ ही सरकार को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की पेंशन से वसूली का आदेश देने का अधिकार भी रखता है। जब पेंशनभोगी गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है या कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, तो नियम का प्रावधान लागू हो जाता है। परंतुक में कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी पर होने पर कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो इसे राज्य सरकार की मंजूरी के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी जांच केवल उस घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही की स्थापना से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी। सेवानिवृत्ति से पहले चार साल से पहले की किसी भी घटना के लिए मंजूरी और छूट की ये दोनों अनिवार्य आवश्यकताएं, अनुपालन, नही होता है, सम्मोहक तर्क है।

17. मान लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है और कथित अवैध नियुक्तियां सेवानिवृत्ति से बहुत पहले की हैं; सेवानिवृत्ति से तीन दशक से अधिक पहले की हैं, जिन्हें भर्ती और नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है। अलग-अलग शिक्षकों के खिलाफ लगाया गया आरोप यह है कि नियुक्ति को ही अवैध होने के कारण दूषित किया जा रहा है। इस संदर्भ में, हमें ध्यान देना होगा कि पहले सेवानिवृत्ति से पहले एक कार्यवाही शुरू की गई थी जो इस न्यायालय में कम से कम कुछ शिक्षकों के मामले में लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करती थी, जिनके खिलाफ सी. बी. आई. ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी।

18. धारा 43 (बी) के संबंध में विवाद को समझने के लिए, हमें तथ्यों पर थोड़ा और विस्तार से विचार करना होगा। हम संबंधित याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों और सेवा की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिट याचिकाओं को फिर से देखेंगे। 2022 के सी.डब्लू.जे.सी. सं. 8020 ने 2023 के एल.पी.ए. संख्या 1219 को जन्म दिया। रिट याचिका के अभिलेखों से यह देखा जाता है कि बिहार शिक्षा नियमावली, 1961 ने खंड

97 (xi) (अनुलग्नक-1) द्वारा स्कूलों के जिला निरीक्षक को (संक्षिप्तता 'डी.आई' के लिए) 'डी.आई' के नियंत्रण वाले स्कूलों में Rs.50-90 या उससे कम के पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करने और ऐसे सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार दिया है। वेतनमान निश्चित रूप से 1980 के दशक की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति होने तक इसमें बदलाव आया होगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूलों के डी. आई. की शक्ति को ज्ञापन सं.1441 दिनांक 03.11.1979 में दोहराया गया था, जैसा कि विषय नियुक्तियों से ठीक पहले जारी किए गए अनुलग्नक-2 से देखा गया है। अनुलग्नक-4 के बारे में कहा जाता है कि यह विज्ञापन मधुबानी में स्कूलों के डी. आई. द्वारा दिनांक 01.08.1981 को जारी किया गया है। याचिकाकर्ता, जो रोजगार विनिमय के साथ पंजीकृत थी, जैसा कि अनुलग्नक-3 से पता चलता है कि उसे अनुलग्नक-5 आदेश दिनांक 20.10.1981 द्वारा नियुक्त किया गया था और वह 05.11.1981 को शामिल हुई थी।

19. अनुलग्नक-5 द्वारा नियुक्ति की पुष्टि अनुलग्नक-6 दिनांक 20.10.1981 के अनुसार स्कूलों के निरीक्षक-सह-शिक्षा उप निदेशक, बिहार द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका के अंश जो अनुलग्नक-7, अनुलग्नक-8 और अनुलग्नक-9 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि उन्हें 17.05.1990 से व्याख्याता के रूप में अधीनस्थ शिक्षा सेवाओं में पदोन्नत किया गया था, वहां उनका वेतन निर्धारण किया गया था और 11.04.2013 को बिहार शिक्षा सेवाओं में उनकी आगे पदोन्नति की गई थी। अनुलग्नक-10 और 11 फिर से उन्हें सेवा में पहली वित्तीय प्रगति और उनके वेतन निर्धारण प्रदान करने वाले आदेश हैं।

20. अनुलग्नक-12 दिनांक 31.01.2016 को पर उनकी सेवानिवृत्ति का संकेत देता है। 31.01.2016, जिसके बाद, 29.05.2019 दिनांकित अनुलग्नक-13 कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। कारण दर्शाओ में, 13.10.2016 दिनांकित आरोपों का एक ज्ञापन और 17.01.2017 दिनांकित कारण दिखाओ नोटिस के लिए एक अनुस्मारक संदर्भित किया गया

था; जिसे याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को कभी जारी नहीं किया था। तुरंत, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आरोप का ज्ञापन, किसी भी स्थिति में, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के लगभग 10 महीने बाद था। अनुलग्नक-13 के तहत नोटिस जारी होने के बाद भी विभाग ने 26.02.2021 पर अनुलग्नक-17 का अनुस्मारक जारी होने तक मौन रखा, जिसमें आरोप का ज्ञापन (अनुलग्नक-18) और सीबीआई रिपोर्ट (अनुलग्नक-19) जिसके आधार पर आरोप लगाया गया था, याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। अनुलग्नक-21, बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 (सी) के तहत पेंशन को रोकने का अंतिम आदेश है।

21. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियम 43 (बी) के उल्लंघन के आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। हम पहले ही नियम 43 (बी) को देख चुके हैं जो कार्यवाही शुरू करने की जड़ तक जाता है क्योंकि उठाए गए आधार यह हैं कि सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी और आगे यह कि जिस घटना पर आरोप लगाया गया है वह याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति पर हुई थी, जो साढ़े तीन दशक से अधिक पहले की है।

22. 2023 नियम 139 (सी) पर एक अतिरिक्त विवाद उठाया गया है। जिसके लिए हमें उक्त नियम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे यहाँ निकाला गया है।

> आर 139. (क) नियमों के तहत स्वीकार्य पूर्ण पेंशन निश्चित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, या जब तक कि प्रदान की गई सेवा को वास्तव में मंजूरी नहीं दी गई हो।
>
> (ख) यदि सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रही है, तो पेंशन को मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को राशि में ऐसी कमी करनी चाहिए जो वह उचित समझे।
>
> (ग) राज्य सरकार अपने नियंत्रण में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित पेंशन से संबंधित आदेश को संशोधित करने की शक्तियां अपने पास सुरक्षित रखती है, यदि वे संतुष्ट हैं कि पेंशनभोगी की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी या सेवा में रहते

हुए उसकी ओर से गंभीर कदाचार का प्रमाण था। तथापि, संबंधित पेंशनभोगी को उसकी पेंशन के संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और न ही ऐसी किसी शक्ति का उपयोग पेंशन को मंजूरी देने वाले आदेश के पहले पारित होने की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद किया जाएगा। "

23. नियम 43 (बी) और 139 (सी) की कठोरता को समझने के लिए हमें केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **बिहार राज्य बनाम मो. इदरीस अंसारी** 1995 सप 3 एस. सी. सी 6. का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

7. इन प्रावधानों पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि नियम 43 (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग पटना उच्च न्यायालय के 2023 डीटी एल. पी. ए. के कथित कदाचार के संबंध में किया जा सकता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में संबंधित सरकारी कर्मचारी को गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऐसी विभागीय कार्यवाही कदाचार के संबंध में होनी चाहिए जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कथित कदाचार के संबंध में नियम 43 (ए) और (बी) के तहत प्रतिवादी के खिलाफ 1993 में कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी, जैसा कि आरोप है कि यह वर्ष 1986-87 में हुई थी। 87. चूंकि 1993 तक कथित कदाचार कम से कम छह साल पुराना था, नियम 43 (बी) तस्वीर से बाहर था।
यहाँ तक कि प्रत्यर्थी अधिकारियों ने भी इस कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया जब उन्होंने 27-9-1993 दिनांकित नोटिस जारी किया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियमों के नियम 43 (बी) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप की अवधि चार साल से अधिक पुरानी है। अधिकारियों के लिए दिनांकित

17.10.1987 पूर्व सूचना पर भरोसा करना समान रूप से संभव नहीं है क्योंकि इसके अनुसरण में उच्च न्यायालय द्वारा 1991 की रिट याचिका संख्या 6696 में कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और केवल प्रतिवादी के लिए नई कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता आरक्षित थी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को दिनांकित 17-10-1987 के नोटिस के अनुसार पहले की विभागीय जांच को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए, प्रत्यर्थी ने भी दिनांकित 17-10-1987 के उक्त नोटिस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दिनांकित 27-9-1993 के विवादित नोटिस द्वारा नई विभागीय जांच शुरू की। नतीजतन, यह विद्वान अधिवक्ता के लिए खुला नहीं है कि वह अपीलार्थी को उक्त पूर्व सूचना दिनांक 17-10-1987 पर भरोसा करने के लिए कहे।

उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से नियम 43 (ए) और (बी) के तहत प्रावधान की संक्षिप्त व्याख्या करता है। वर्तमान मामले में, नियम 43 (बी) का स्पष्ट उल्लंघन; जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई जांच के लिए सरकार की ओर से कोई मंजूरी प्रस्तुत नहीं की जाती है। जिस घटना के आधार पर आरोप लगाया गया है, वह भी वर्ष 1980 से संबंधित है, जब आरोपों का ज्ञापन, जिसे कार्यवाही की पहली शुरुआत माना जाता है, दिनांकित 13.10.2016 था। इस संदर्भ में, हमें यह भी दोहराना होगा कि सी. बी. आई. जांच का आदेश 1998 में दिया गया था, रिपोर्ट 2004 में सरकार के समक्ष थी और उस पर कार्यवाही बहुत बाद में की गई थी।

पुनः, कार्रवाई एक जनहित याचिका में इस न्यायालय द्वारा जारी एक निर्देश पर आधारित थी, जिसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि कोई भी कार्यवाही कानून के अनुसार होगी। यह स्पष्ट किया गया था कि सी. बी. आई. जांच के नोटिस के अनुसार और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना शिक्षकों की कोई बर्खास्तगी नहीं होगी, इसलिए सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए बिहार पेंशन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से भटकना नहीं हो सकता है।

24. अब, हम बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 पर आते हैं, जिसकी व्याख्या **मो. इदरीस अंसारी** (ऊपर); में भी की गई है उद्धृत निर्णय से पैराग्राफ 9 और 10 यहाँ नीचे निकाला गया हैः-

> 9. जहाँ तक उस नियम का संबंध है, यह राज्य प्राधिकरणों को इस प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार देता है कि क्या नियम द्वारा विचार की गई परिस्थितियाँ एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पूर्ण पेंशन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, पहली परिस्थिति यह है कि यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन में उचित कमी का आदेश दिया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि यह पाया जाता है कि पेंशनभोगी की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी या सेवा में रहते हुए संबंधित सरकारी कर्मचारी की ओर से गंभीर कदाचार का प्रमाण है, तो राज्य सरकार पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पेंशन के निर्धारण में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन उपरोक्त परिस्थितियों में नियम 139 से प्रवाहित होने वाली ऐसी शक्ति को दो शर्तों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पहली शर्त यह है कि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए और दूसरा इस तरह की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग पहली बार पेंशन की मंजूरी की तारीख से केवल तीन साल के भीतर किया जा सकता है। नियम 43 (बी) और नियम 139 का एक संयुक्त अध्ययन निम्नलिखित चित्र प्रस्तुत करता हैः
>
> 1. एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नियम 139 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और उसकी पेंशन को उचित रूप से कम किया जा सकता है यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि प्रतिवादी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था।

2. यहां तक कि अगर संबंधित अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से संतोषजनक पाया जाता है और यदि राज्य सरकार को लगता है कि यह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है या उसके सेवा कार्यकाल के दौरान संबंधित अधिकारी के गंभीर कदाचार का सबूत है, तो राज्य सरकार पेंशन को कम करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकती है, लेकिन वह संशोधन इस शर्त के अधीन भी है कि इसका उपयोग तारीख से 3 साल के भीतर किया जाना चाहिए, जब पेंशन को मंजूरी देने का आदेश पहले उसके पक्ष में उनके पक्ष में पारित किया गया था। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा और उस अवधि से आगे नहीं।

10. जहाँ तक दूसरे प्रकार के मामलों का संबंध है, अपने सेवा कार्यकाल के दौरान संबंधित सरकारी कर्मचारी की ओर से गंभीर कदाचार के प्रमाण को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही से निकालना होगा जो उनके सेवा कार्यकाल के दौरान हुई हो सकती है या विभागीय कार्यवाही से जो इस प्रकार के मामलों में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी शुरू की जा सकती है। लेकिन ऐसी विभागीय कार्यवाही को नियम 43 (बी) की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। नतीजतन, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही के अनुसार अपने सेवा काल के दौरान गंभीर कदाचार का दोषी पाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कार्यवाही केवल ऐसे कदाचार के संबंध में शुरू की जा सकती है जो उसके खिलाफ ऐसी विभागीय कार्यवाही शुरू होने के 4 साल के भीतर हुई हो। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी 31-1-1993 को सेवानिवृत्त हुआ और 27-9-1993 को गंभीर कदाचार के आधार पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था, इस आधार पर नहीं कि पेंशनभोगी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसे राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्राधिकरण के रूप में जारी किया गया था। इसलिए इसे नियम 43 (बी) के साथ पढ़ा जाना था। इसलिए इस

तरह के नोटिस में कोई भी कदाचार शामिल हो सकता है यदि यह 27-9-1993 से पहले 4 साल के भीतर किया गया हो जिसका अर्थ है कि यह 26-9-1989 से 31-1-1993 तक की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए था जब प्रतिवादी सेवानिवृत्त हुआ था। केवल इस तरह के कदाचार के मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती थी। ऐसी कार्यवाही में, यदि वह दुराचार का दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ नियम 139 (ए) और (बी) के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती थी। वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय से सहमति जताते हुए कि नियम 139 (ए) और (बी) के तहत शक्तियों का आह्वान करने वाला दिनांक 1 का नोटिस पूरी तरह से कथित पिछले कदाचार के आधार पर जारी किया गया था और इस आधार पर आधारित नहीं था कि प्रतिवादी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। जहाँ तक उस आधार का संबंध है, नियम 43 (बी) और नियम 139 (ए) के संयुक्त पठन पर इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि चूंकि कथित कदाचार प्रतिवादी द्वारा उस तारीख से 4 साल पहले किया गया था, जिस दिन आई. डी. 1 जारी किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता प्राधिकरण को सिद्ध कदाचार के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ नियम 139 (ए) और (बी) लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित करना पड़ा कि नियम 139 के तहत कार्यवाही पूरी तरह से अक्षम थी। उच्च न्यायालय को दिनांकित 13-12-1993 के अंतिम आदेश को रद्द करने में समान रूप से उचित ठहराया गया था क्योंकि इस तरह के कदाचार का कोई सबूत नहीं है। नियम 139 (ए) और (बी) के तहत कार्यवाही को वापस करने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा क्योंकि 1986-87 से चार साल की समाप्ति के बाद किसी भी विभागीय कार्यवाही में कथित गंभीर कदाचार स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसी कार्यवाही नियम 43 (बी) परंतुक (ए) (ii) द्वारा स्पष्ट रूप से बाधित होगी।

नतीजतन, दिनांकित 27-9-1993 के कारण बताए जाने वाले नोटिस को इसकी शुरुआत से ही मृत और अप्रभावी माना जाएगा। रिमांड के माध्यम से किसी भी नई कार्यवाही का समर्थन करने के लिए इस तरह के नोटिस का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इन सभी कारणों से इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। परिणाम में अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

25. हमें ध्यान देना होगा कि खंड (बी) और खंड (सी) के अनुसार नियम 139 के तहत दो स्थितियां प्रदान की गई हैं, जहां पेंशन में कमी की जा सकती है। खंड (बी) लागू होता है। जब सेवा पूरी तरह से असंतोषजनक पाई जाती है। हमारे सामने किसी भी मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। खंड (ग) किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश के पारित होने पर राज्य सरकार द्वारा पेंशन के आदेश को संशोधित करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें यह भी संतोष होना चाहिए कि या तो पेंशनभोगी की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी या सेवा में रहते हुए उनकी ओर से गंभीर कदाचार का प्रमाण था। हम याद करते हैं कि किसी भी अपीलार्थी के खिलाफ असंतोषजनक सेवा का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कदाचार का भी कोई आरोप नहीं है और जो आरोप लगाया गया है वह अनियमित रूप से प्राप्त की गई नियुक्ति है, जो तीन दशकों से अधिक समय से संबंधित है। शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच मंजूरी के अभाव में अवैध है और इस घटना के नियम 43 (बी) के तहत प्रदान की गई घटना से बहुत पहले होने की शिकायत की गई है; इस प्रकार शुरुआत ही दूषित हो जाती है। पेंशन नियमों के अनुसार धारा 139 (सी) के तहत लगाई गई सजा भी टिकाऊ नहीं है। हमें 2022 के सी.डब्ल्यू.जेसी. सं.8020 में दोनों विवादित आदेशों को रद्द करना होगा।

26. अब, हम 2022 केसी.डब्ल्यू. जेसी. सं.693 पर आते हैं जिससे 2023 के एल.पी. ए. सं.1252 उत्पन्न हुआ। इसमें, याचिकाकर्ता को शिक्षा नियमावली के नियम 97 (xi) के

तहत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 07.06.1988 को तीन महीने के लिए नियुक्त किया गया था। और 14.10.1988 को , स्कूल निरीक्षक-सह-शिक्षा उप निदेशक ने विस्तार दिया और वह अपनी सेवानिवृत्ति तक जारी रहीं।

27. अनुलग्नक-ए 2 और ए 3, वित्तीय प्रगति के विवादित आदेश हैं और अनुलग्नक-ए 4 30.11.2014 को उनकी सेवानिवृत्ति का प्रमाण देता है, जिसका सबूत आगे 25.06.2015 को जारी पेंशन भुगतान आदेश (संक्षिप्तता 'पी. पी. ओ.' के लिए)-(अनुलग्नक-5) से मिलता है। साढ़े छह साल बाद, 15.06.2021 दिनांकित दूसरा कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल अनुलग्नक-ए 6 दिनांकित 28.06.2021 के रूप में जवाब दायर किया गया। विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांकित 24.11.2021 ज्ञापन, सम तिथि के आरोप ज्ञापन और सी. बी. आई. रिपोर्ट को रिट याचिका में क्रमशः अनुलग्नक-11 से 13 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

28. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने राज्य के जवाबी हलफनामे में प्रस्तुत अनुलग्नक-सी जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता की पेंशन को रोक दिया गया है, जो अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिए गए दंड का आदेश है; रिट अपील में 2023 के आई. ए. No.01 में दिनांकित 11.05.22 अनुलग्नक-पी. 1 के समान प्रस्तुत करना। वर्ष 2023 के आई. ए. सं.-01 में अनुलग्नक-पी. 2 और पी. 3 के रूप में दिनांकित 08.04.2022 का दूसरा कारण दिखाएँ नोटिस और याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही की शुरुआत और पारित आदेश में अवैधता पाई गई, जैसा कि हमलोगों द्वारा पहले से चर्चा की गई अपील के संबंध में, यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। कार्यवाही अवैध रूप से शुरू की गई पाई जाती है और पारित आदेश को भी दरकिनार किया जा सकता है और हम ऐसा करते हैं।

29. 2022 का सी.डब्ल्यू. जेसी. सं. 439 तीन सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा दायर किया गया है, जिसकी अस्वीकृति से 2023 का एल.पी. ए. सं.1254 उनमें से दो द्वारा दायर किया

गया है। याचिकाकर्ता 1 और 2 की प्रारंभिक नियुक्ति क्रमशः 29.02.1988 और 14.09.1981 को थी। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और उनकी सेवाओं को अनुलग्नक-10 और 11 आदेशों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, जिसे 2017 के सी.डब्ल्यू. जेसी. सं.1576 में चुनौती दी गई थी, जिसमें अंतिम आदेश 21.02.2017 को पारित किया गया था, जहां याचिकाकर्ता की समाप्ति को अनुलग्नक-12 के माध्यम से अलग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित थी लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से पहले क्रमशः 31.05.2017 और 31.12.2017 को कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

30. कार्यवाही की शुरुआत दो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ क्रमशः अनुलग्नक-19 और 20 के रूप में प्रस्तुत किए गए आरोपों के ज्ञापन दिनांकित 27.10.2018 द्वारा हुई। रिट याचिका के निपटारे के बाद बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) और 139 (सी) के तहत जारी उप क्षेत्रीय निदेशक, मुंगेर डिवीजन के आदेशों को क्रमशः अनुलग्नक-पी4 और पी5 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है दोनों दिनांकित 21.11.2023 है। बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) और 139 की व्याख्या उपरोक्त मामले में भी पूरी तरह से लागू होते हैं।

31. हमें नियम 43 के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना होगा जो मंजूरी के लिए नियमों के परंतुक के अनुसार या सेवानिवृत्ति से पहले चार साल के भीतर किए गए कदाचार के लिए आवश्यकता के अनुप्रयोग से को बचाता है। स्पष्टीकरण वैध समझता है, आरोप तय करके या सरकारी कर्मचारी को पहले की तारीख से निलंबित करके शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसा कि उस पहले की तारीख से ठीक से शुरू की गई थी। अपीलार्थियों को सेवानिवृत्ति से पहले निलंबित नहीं किया गया था। हालाँकि, सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया गया था। नए सिरे से कार्यवाही की अनुमति दी गई थी लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले ऐसा करने का अवसर उपलब्ध होने के बावजूद, उनकी सेवानिवृत्ति तक ऐसी कोई कार्यवाही

शुरू नहीं की गई थी। इसलिए शुरू की गई बाद की कार्यवाही को नियम 43 (बी) के परंतुक का पालन करना पड़ा। कार्यवाही अवैध रूप से शुरू की गई पाई जाती है और इसलिए, सजा का आदेश भी दरकिनार किया जा सकता है।

32. 2023 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2364 को अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे 2023 की एल. पी. ए. संख्या 1257 उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-2 में दिए गए विज्ञापन के अनुसार संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। के लिए प्रदान किया गया। अनुलग्नक-2 01.04.1988 को अधिकतम आयु 30 वर्ष प्रदान करता है। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि जैसा कि अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत मैट्रिक प्रमाण पत्र से पता चलता है, 30.08.1959 है, और उसने विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु प्राप्त नहीं की थी। याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-4 के अनुसार नियुक्त किया गया था और उसे अनुलग्नक-5 और 6 के अनुसार स्थानांतरित भी किया गया था। याचिकाकर्ता की वित्तीय प्रगति, जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया था, अनुलग्नक-7 और 8 में इंगित की गई है।

33. शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रभाग, मुज़फ़्फ़रपुर ने अनुलग्नक-10 में सी. बी. आई. की रिपोर्ट को संलग्न करते हुए अनुलग्नक-9 यानी दिनांक 22.08.2016 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया। जो बिना किसी आरोप पत्र के जारी किए दूसरा कारणदर्शक नोटिस था। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक-11 के अनुसार अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया और अनुलग्नक-12 आदेश द्वारा उसे वर्खास्त कर दिया गया।

34. याचिकाकर्ता, जिन अन्य लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 15713 (प्रेमा कुमारी और अन्र बनाम बिहार राज्य और अन्य) में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसे अनुमति दी गई थी, कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ (अनुलग्नक-13)। विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि भी अनुलग्नक-14 के अनुसार एक खंड पीठ द्वारा की गई थी। दिनांक 20.02.2017 के

अनुलग्नक-15 द्वारा याचिकाकर्ता को फिर से में बहाल किया गया था। अनुलग्नक-16 ने याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य शिक्षकों को सेवा की निरंतरता का लाभ भी प्रदान किया। जब वह नौकरी में थी, तब उसके खिलाफ आरोप पत्र (अनुलग्नक-17) दिनांक 18.01.2018 फिर से जारी किया गया था। जाँच का निष्कर्ष यह निकला कि उसे अनुलग्नक 22 दिनांक 22.02.2019 द्वारा आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। वह 30.08.2019 पर सेवानिवृत्त हुईं और उन्हें जारी किए गए पीपीओ को अनुलग्नक 24 के रूप में चिह्नित किया गया है।

35. फिर से 5वें प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को बिना किसी जानकारी के एक जांच की गई और 26.07.2021 (अनुलग्नक-25) दिनांकित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि जब उन्हें नियुक्त किया गया था, तब उनकी उम्र अधिक थी, जो केवल सीबीआई की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच में साबित हुआ था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत 100 प्रतिशत पेंशन को रोकने की सजा दी, जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक-33 के रूप में आरोपित किया गया था।

36. उपरोक्त याचिकाकर्ता के संबंध में, हमें विशेष रूप से अनुलग्नक-10 में प्रस्तुत सी. बी. आई. रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा, जो कुछ नियुक्तियों के खिलाफ निष्कर्षों का एक उद्धरण है, जिनमें से एक वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता था। उनकी जन्म तिथि 30.08.1959 के रूप में दर्ज की गई थी, और उनकी उम्र गई थी। उनकी नियुक्ति की तारीख के समद उनकी आयु 29 वर्ष 6 महीने थी। अंतिम कॉलम से यह देखा जाता है कि विज्ञापन संख्या 88 के खिलाफ एक चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति नियुक्ति के समय उनकी अधिक उम्र होने और रोस्टर मंजूरी प्राप्त नहीं होने के साथ-साथ आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के संबंध में थी। हम उस क्रम संख्या पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते। 133 से

136 तक सभी को उसी अधिसूचना के तहत नियुक्त किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को भी नियुक्त किया गया था। यहां तक कि क्रम संख्या 133 से 136 के मामले में भी यह देखा गया है कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया और रोस्टर मंजूरी प्राप्त नहीं की गई। फिर भी उनकी नियुक्तियों को नियमित माना जाता था, जबकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनियमित पाई गई, जो उसकी अधिक उम्र होने के आधार पर थी।

37. यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय उसकी आयु 30 वर्ष से कम थी; जो विज्ञापन के अनुसार ही अधिकतम आयु थी। यहां तक कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि उनकी आयु 30 वर्ष से कम थी, जब उन्हें नियुक्त किया गया था। पूरी कार्यवाही से पीड़ित होने की गंध आती है और हमें जांच रिपोर्ट को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान मामले में एक जांच की गई थी, जिसमें वह बरी हो गईं और वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गईं। दूसरी जाँच उन्हें बिना किसी सूचना के और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी। जैसा कि ऊपर पाया गया है, अन्य अपीलों में तब तक जांच नहीं हो सकती थी जब तक कि सरकार से मंजूरी नहीं मिल जाती और जिस घटना की शिकायत की गई है वह सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल पहले की है। नियम 43 और 139 के संबंध में पिछली अपील में हमारे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से लागू होते हैं और विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

38. 2023 का एल. पी. ए. सं. 1253 2022 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 439 से उत्पन्न होता है, जिसमें अपीलार्थी तीसरा याचिकाकर्ता था। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति, जैसा कि रिट याचिका से पता चला है, एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में 24.03.1988 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर अनुलग्नक-3 द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ता को पहली बार 27.10.2018 को अनुलग्नक-21 के रूप में जारी किए गए आरोपों के ज्ञापन के साथ आगे बढ़ाया गया था। आरोप था कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में

उनकी नियुक्ति को अनियमित पाया। जाँच रिपोर्ट अनुलग्नक-30 के रूप में प्रस्तुत की जाती है जो दिनांकित 05.02.2019 है। जाँच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए सी. बी. आई. की सिफारिश पर कार्यवाही शुरू की गई थी। यह कहा गया कि सी. बी. आई. ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अनियमित पाया, इस आधार पर कि नियुक्ति को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर किया गया था। अनुलग्नक-30 के रूप में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण सह शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, मुंगेर प्रभाग ने अनुलग्नक-31 द्वारा याचिकाकर्ता को पद पर बने रहने के लिए सक्षम पाया। याचिकाकर्ता 30.11.2020 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और उसी का प्रमाण देने वाला पेंशन भुगतान आदेश अनुलग्नक-32 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले के मामले में, सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, जैसा कि अनुलग्नक-35 से देखा गया है, जो 18.12.2021 दिनांकित है।

39. प्रत्यर्थी सं.-2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में सं. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को दूसरा कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया है जैसा कि दिनांक 12.03.2022 के अनुलग्नक-ए में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्राप्ति पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद, मंजूरी के बिना और नियुक्ति के संबंध में कोई आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती है, जो तीन दशक से अधिक समय पहले हुई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी का अनुलग्नक 31 आदेश भी लागू था। 2023 के एल. पी. ए. सं. 1257 में जो कहा गया है, वह वर्तमान मामले में भी लागू होता है।

40. अब, हम 2021 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 20610 से उत्पन्न 2023 के एल. पी. ए. संख्या 1249 पर आते हैं। याचिकाकर्ता को 07.02.1981 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 13.11.2019 को सेवानिवृत्त हुए। अनुलग्नक-20 के रूप में प्रस्तुत सी. बी. आई. रिपोर्ट में उनके खिलाफ आरोप था कि उनके पास केवल शिक्षण

पाठ्यक्रम में डिप्लोमा था, पाठ्यक्रम की अवधि दो महीने की थी; दो साल की अवधि के बी. टी. सी. के स्थान पर; जो बाद में न्यूनतम योग्यता आवश्यक थी। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें एक उचित प्रक्रिया के बाद नियुक्त नहीं किया गया था और उनकी नियुक्ति रोस्टर मंजूरी के बिना और आरक्षण प्रोटोकॉल का पालन किए बिना की गई थी। आरोप का पहला ज्ञापन 28.08.2017 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता 30.09.2019 को सेवानिवृत्त हुई और उसके बाद भी उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही जारी रही और अनुलग्नक-32 में जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को उसके स्पष्टीकरण के लिए अनुलग्नक-33 द्वारा भेजी गई जो अनुलग्नक-34 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अनुलग्नक-35 द्वारा याचिकाकर्ता की 100 प्रतिशत पेंशन रोक दी गई थी। उनके मामले में मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जांच सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई थी, लेकिन इसे जारी रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि नियुक्ति, जो आरोप का आधार तीन दशक पहले थी। धारा 139 (सी) को लागू करने का कोई वैध आधार भी नहीं है।

41. जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा जांच की कार्यवाही शुरू की गई थी, हम उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकते। यह सच है कि जनहित याचिका में एक सी. बी. आई. जांच शुरू की गई थी, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं से बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की गई थी या उन्हें अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया था। सी. बी. आई. की रिपोर्ट वर्ष 2004 में दायर की गई थी जब सभी याचिकाकर्ता सेवा में थे। तब भी अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई होती, तो 1980 के दशक में नियुक्तियां होने के बाद से इसमें बहुत देरी होती। हम 1995 के सिविल अपील सं. 1328 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। **भारत बनाम किशोरी लाल बब्लानी ने ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 517 और पी. वी. महादेवन बनाम एम. डी. तमिलनाडु आवास बोर्ड** ने **ए.आई.आर. 2006 एस. सी. 207** में रिपोर्ट दी। **किशोरी लाल बब्लानी (ऊपर)** में, अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया आधार कि वर्ष 1985 में दायर एक रिट

याचिका में, वर्ष 1974 में की गई नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए था, स्वीकार कर लिया गया। **पी. वी. महादेवन** (उपरोक्त) के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में 12 साल की देरी हुई थी, जिस पर आरोप ज्ञापन को ही रद् कर दिया गया था। यहाँ, सी. बी. आई. में की गई नियुक्तियाँ लंबे समय तक जारी रहीं और अदालत में सी. बी. आई. की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी; आगे की कार्रवाई में और 14 साल लगे, यानी 2016 में शुरू हुई। जिन अपीलों पर पहले विचार किया गया था, उनके संबंध में यह फिर से बहुत बाद में था। हमें यह भी देखना होगा कि की गई जाँच में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। सी. बी. आई. की रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं दिया गया और जांच करने वाले एक अधिकारी के माध्यम से इसे साबित नहीं किया गया।

42. पुनरावृत्ति के जोखिम पर, यह कहा जाना चाहिए कि वर्ष 1981,1988 और 1989 में की गई नियुक्तियों की सी. बी. आई. जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2004 में दायर की गई थी। जाहिरा तौर पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट बिना किसी आगे की कार्रवाई के राज्य सरकार के पास रह गई थी। इसके बहुत बाद, वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका ने राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। जनहित याचिका में आदेश ने केवल राज्य सरकार को कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

हमने पाया है कि राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक जांच में निष्पक्षता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए प्रक्रिया के विशिष्ट नियमों का भी उल्लंघन किया है।

43. जिस तरह से जांच की गई, उसके बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर होगा। आरोपों के ज्ञापन में केवल व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के खिलाफ कथित अनियमितता की ओर इशारा करते हुए सी. बी. आई. रिपोर्ट का उद्धरण था। जाँच में न तो किसी की जाँच की गई और न ही किसी दस्तावेज़ को चिह्नित किया गया। सी. बी.

आई. रिपोर्ट के उद्धरण को केवल उस व्यक्ति द्वारा चिह्नित और साबित किया जा सकता था जिसने तैयार किया था। या सी. बी. आई. के कोई अन्य अधिकारी, जो अभिलेखों के आधार पर गवाही दे सकता है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और जांच अधिकारी ने कथित नियुक्ति में अनियमितता पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया।

44. एक वैध अनुशासनात्मक जांच, एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही कैसे की जानी है, इस पर हमें **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक (2009) 2 एस. सी. सी. 270** का उल्लेख करना होगा। हम उक्त निर्णय के पैरा 14 को निकालते हैं, जो सभी चाटों लागू होता हैः-

> *14. निर्विवाद रूप से, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। अनुसंधान अधिकारी एक न्यायिक कल्प कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने चाहिए। अनुसंधान अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जाँच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। प्रबंधन गवाहों ने केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और इसकी सामग्री को साबित नहीं किया। अन्य बातों के साथ-साथ अब तक, जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिकता में रखा गया था जिसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता था।*

45. हमने यह भी देखा है कि रोस्टर मंजूरी की अनियमितता प्राप्त नहीं की गई है और आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, कई व्यक्तिगत मामलों में नियुक्तियों में अनियमितता खोजने के लिए एक आधार के रूप में नहीं माना गया था। जहाँ तक अधिक

आयु के विवाद का संबंध है, याचिकाकर्ता, जिस पर इसके लिए आरोप लगाया गया था, ने प्रदर्शित किया है कि यह अन्यथा है।

46. उपरोक्त तर्क पर, हम अपीलों को अनुमति देकर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट देते हैं और विवादित आदेशों को दरकिनार करते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति देते हैं। दर किनारे किया गए आदेश वे हैं जिनमें दंड लगाए गए हैं, रिट याचिका में या अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। अपीलों में पेश किए गए, जब वे लंबित थे, तब पारित किए गए, इन्हें भी अलग कर दिया जाता है।

47. याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थियों को सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बहाल की जाएगी। याचिकाकर्ताओं को मार्च-2024 से पेंशन का भुगतान किया जाएगा और उस अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान आज से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा जब उन्हें रिट याचिका में विवादित आदेशों के कारण ऐसी पेंशन से वंचित कर दिया गया था। यदि चार महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य को 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा, यानी पेंशन बंद होने की तारीख से। यदि ब्याज केवल बकाया राशि के वितरण में हुई देरी के कारण होता है, तो राज्य उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा जो देरी के लिए जिम्मेदार हैं और उनसे ब्याज का हिस्सा वसूल करें।

48. जिस तरह से जांच की कार्यवाही शुरू की गई और सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से आगे बढ़ाया गया, हम अपनी पीड़ा व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को जारी रखने के लिए उत्तरदायी पाए जाने के उदाहरण भी थे, जिसके बाद, फिर से बिना किसी सूचना के बाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई और सजा दी गई। कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य का अपने कर्मचारियों के प्रति दायित्व है। नियुक्त व्यक्तियों को दशकों पहले नियुक्त किया

गया था और वे राज्य के रोजगार में बने रहे। भले ही सी. बी. आई. को कुछ अनियमितताएं मिलीं, लेकिन यह राज्य को सावधानीपूर्वक जांच करनी थी कि क्या ऐसी अनियमितताएं मौजूद थीं और क्या ऐसा था, क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना समीचीन था, विशेष रूप से समय बीतने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने बीच के वर्षों में ऐसे व्यक्तियों से काम निकाला था। विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपीलार्थियों के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं की गई है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब उनकी सेवाओं को असंतोषजनक पाया गया हो। उनमें से किसी पर भी अपनी सेवानिवृत्ति से चार साल पहले या इससे पहले किसी भी समय अपनी पूर्ण सेवा में किसी भी दुर्व्यवहार का आरोप नहीं है। राज्य ने इस तरह के मनमाने तरीके से काम किया है; सेवा से सेवानिवृत्त याचिकाकर्ताओं को में डाल दिया। लंबे समय तक पूरी पेंशन से इनकार करके अनावश्यक पीड़ा, निराशा और पूर्वाग्रह; में डाल दिया जिसे अधिकार का मामला माना जाता है न कि राज्य द्वारा भुगतान किया गया इनाम। उपरोक्त तर्क पर, हमारी राय है कि राज्य को लागत के साथ रु 5, 000/- प्रत्येक अपील में, लगाया जाना चाहिए जिसका भुगतान बकाया राशि के साथ किया जाएगा।

49. तदनुसार आदेश दिया।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

हरीश कुमार, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।